तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) — हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज — प्र0 सं. 320/17 रा0 वा3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाकर आदेश दिया जाता है कि आदेश ग्राम डाबिया खोमाणियां की आ0नं. 704/3 रकबा 5 बीघा 05 बिस्वा भूमि राजस्व नक्शे में वर्णित आराजी संख्या 706/3 जो चावण्डिया जाने वाले रोड पर स्थित है जिसके बजाय पूर्व से पश्चिम रकबा 5 बीघा 05 बिस्वा को नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं वर्तमान राजस्व नक्शे में वर्णित आराजी सं. 706/3 को उत्तर दिशा में पूर्ण भूमि जिसके उत्तर दिशा में जडाणा जाने वाला रास्ता है एवं पूर्व में चावण्डिया जाने वाला रास्ता स्थित है, जिस पर आ0नं. 706/3 रकबा 2 बीघा भूमि पूर्व दिशा के बजाय पश्चिम दिशा में तरमीम की जाकर तदनुसार प्रतिवादी सं. 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व प्रतिवादी सं. 01 व 02 को आ0 सं. 3/2 व 316/3 को उसके कुल रकबे अनुसार वर्तमान नक्शे में से विलोपित किया जाकर आ0नं. 3/2 व 316/3 को दक्षिण दिशा की तरफ उनके कुल रकबे अनुसार बनाया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे। प्रकरण [illegible] तहसीलदार करेड़ा को [illegible] जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर उसे नम्बर से कम हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:40:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
13/8/22	पत्रावली उभयपक्ष कारान व वकील प्रार्थी/वादी के प्रा०पत्र पर निगाह से तलब की गई प्रकरण में दिनांक 14/05/2022 में निर्णय दिनांक 14/5/22 को पारित निर्णय व डिक्री में संशोधन चाहा गया प्रकरण में राजीनामा प्रा०पत्र व वाद पत्र का अवलोकन किया गया राजीनामा अनुसार प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश किया जाता है कि। संशोधित आदेश ग्राम ढाणिया सोमाणिया की आ०नं. 703/3 रकबा 5.05 बीघा भूमि जो वर्तमान राजस्व नक्शे में स्थित स्थान से प्रतिस्थापित कर ग्राम चावण्डिया को जाने वाली सड़क से सटा पूर्व दिशा में आ०नं. 706/3 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर रकबानुसार बनाते हुए तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर व वर्तमान राजस्व नक्शे में स्थित आ०नं. 706/3 रकबा 2.00 बीघा को उत्तर दिशा में पडत जगह में जराणा जाने वाले रास्ते के सटा पूर्व से पश्चिम दिशा तक तरमीम की जाकर प्रतिवादी सं. 03 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 01 व 02 के आ०नं. 3/2 व 316/3 को उनके कुल रकबे अनुसार वर्तमान नक्शा स्थिति से विलोपित कर आ०नं. 703/3 व 706/3 को अवस्थित करने के पश्चात शेष रकबा 3/2, 316/3 व 703/3 के वर्तमान नक्शे में रकबा अनुसार तरमीम किये जाते है व प्रतिवादी [illegible] को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रकरण [illegible] संशोधित डिक्री जारी की [illegible] की तहरीर जारी हो। पत्रावली [illegible] फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।	

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:40:18 IST
Reason: SelfAttested

संशोधित डिकी 13.08.2022

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6—7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :— महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 320/2017 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा— 88, 89, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

श्री नंगजीराम पिता हजारी कुमावत आयु वयस्क निवासी ढाणिया सोमाणिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
— — वादी

बनाम

1. श्री मदनलाल पुत्र बरदीचन्द सुथार आयु वयस्क निवासी मरेवडा तहसील आसिन्द जिला भीलवाड़ा
2. श्री सुवा पुत्र मांगु कुमाावत आयु वयस्क निवासी ढाणिया सोमाणिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. श्री रामकुवार पुत्र सोहनलाल ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा पूर्व तहसील माण्डल।
5. उप पजियंक महोदय उप पजियक कार्यालय करेड़ा जिला भीलवाडा।

— — प्रतिवादीगण

———

वादी की ओर से श्री राकेश कुमार जैन , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से श्री अब्दुल रशीद पठान एवं पेरोकार सरकार की उपरिथति मे इस वाद के आज दिनांक 13.08.2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

उभय पक्ष के प्रार्थनाप. अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर **संशोधित डिकी** की जाती है कि —

ग्राम ढणिया सोमाणिया की आ0 नं0 703/3 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि जो वर्तमान राजस्व नक्शे मे स्थित स्थान से प्रतिरथापित कर ग्राम चावण्डिया को जाने वाली सड़क से सटमा पूर्व दिशा में आ0सं0 706/3 की दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर रकबा अनुसार बढ़ाते हुए तरमीम किये जाने के आदेश दिए जाते है तथा वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर व वर्तमान राजस्व नक्शे मे स्थित आ0 नं0 706/3 रकबा 2 बीघा को उत्तर दिशा मे पडत जगह में जड़ाणा जाने वाले रास्ते के सटमा पूर्व से पश्चिम दिशा तक तरमीम की जाकर प्रतिवादी संख्या 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की आराजी संख्या 3/2 व 316/3 को उसके कुल रकबे अनुसार वर्तमान नक्शा स्थिति से विलोपित कर आ0नं0 703/3 व 706/3 को अवस्थित करने के पश्चात वर्तमान नक्शें में रकबा अनुसार तरमीम किये जाने व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करेगें।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

आज दिनांक 13.08.2022 को लोक अदालत में मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:40:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 252/2017 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

श्री नंगजीराम पिता हजारी कुमावत आयु वयस्क निवासी ढाणिया सोमाणिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– वादी

बनाम

1. श्री मदनलाल पुत्र बरदीचन्द सुथार आयु वयस्क निवासी मरेवडा तहसील आसिन्द जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. श्री सुवा पुत्र मांगु कुमावत आयु वयस्क निवासी ढाणिया सोमाणिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. श्री रामकुवार पुत्र सोहनलाल ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा पूर्व तहसील माण्डल।
5. उप पजियंक महोदय उप पजियक कार्यालय करेड़ा जिला भीलवाडा।

–– प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री राकेश कुमार जैन , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से श्री अब्दुल रशीद पठान एवं पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 22.03.2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर राजीनामा अनुसार डिकी की जाती है।

कि ग्राम ढणिया सोमाणिया की आ0 नं0 703/3 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि राजस्व नक्शे मे वर्णित आ0सं0 706/3 जो चावण्डिया जाने वाले रोड पर स्थित है, जिसके बजाय पुर्व से पश्चिम दिशा रकबा 04 बिघा 05 बिस्वा को नक्शें में तरमीम किये जाने के आदेश दिए जाते है वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वर्तमान राजस्व नक्शे मे वर्णित आ0 नं0 706/3 के उत्तर दिशा मे पडत भूमि जिसके उत्तर दिशा में जड़ाणा वाला रोड़ तथा पूर्व दिशा में चावण्डिया जाने वाला रास्ता स्थित है जिस पर आराजी नंबर 706/3 रकबा 2 बीघा भूमि पूर्व दिशा के बजाय पश्चिम दिशा में तरमीम की जाकर तदनुसार प्रतिवादी संख्या 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की आराजी संख्या 3/2 व 316/3 को उसके कुल रकबे अनुसार वर्तमान नक्शें में विलोपित किया जाकर आ0नं0 3/2 व 316/3 को दक्षिण दिशा की तरफ उनके कुल रकबे अनुसार बढ़ाया जाकर राजस्व नक्शें में तरमीम की जावें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करेगें।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

आज दिनांक 14.05.2022 को लोक अदालत में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:40:18 IST
Reason: SelfAttested